



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-210
दिनांक-22.01.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-इन्दिरानगर

- 01 शांतिर वाहन चोर गिरफ्तारा
- कुछ ही घंटो में अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए चोरी की गयी मोटरसाइकिल बरामद।
- थाना इन्दिरानगर पुलिस की कार्यवाही।

01-सक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 22.01.2025 को वादी मुकदमा श्री मो0 अदनान S/0 मो इलियास निवासी मकान न. 344/37 भवानी गंज थाना बाजार खाला जनपद लखनऊ द्वारा अपनी गाड़ी UP 32 LP 2914 R15 B3 रंग नीला समृद्धि एडवरटाइजिंग म. नं. 638 /56 अवध विहार मानस विहार रोड इन्द्रानगर से चोरी करने के सम्बन्ध में थाना इन्दिरानगर, लखनऊ पर प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0- 017/2025 303(2) BNS पंजीकृत कराया था।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त ओम कश्यप पुत्र राकेश कश्यप उम्र 22 वर्ष निवासी जरहरा साई मंदिर के पास थाना इन्दिरानगर लखनऊ मूल पता ग्राम बेनीगंज थाना मोहनलाल गंज जनपद लखनऊ व अभियोग में चोरी मो0सा0 R15 B3 सं0 UP 32 LP 2914 के साथ सुग्गामऊ पूरवा हनुमान मंदिर के से समय 01.20 बजे रात्रि में गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस लिया गया, जिसके आधार पर अभियोग में धारा 317 बीएनएस की बढोतरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका:-

चोरी करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

01-ओम कश्यप पुत्र राकेश कश्यप उम्र 22 वर्ष निवासी जरहरा साई मंदिर के पास थाना इन्दिरानगर लखनऊ मूल पता ग्राम बेनीगंज थाना मोहनलाल गंज जनपद लखनऊ (पढाई करता है)

04-बरामदगी:-

- गाड़ी UP 32 LP 2914 R15 B3 रंग नीला

05-पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 017/2025 303(2) BNS थाना इन्दिरानगर

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना इन्दिरानगर-

- 01-उ0नि0 श्री संदीप कुमार सिंह थाना इन्दिरानगर लखनऊ
- 02-का0 सत्यबीर सिंह, थाना इन्दिरानगर लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-207

दिनांक-22.01.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- कृष्णानगर

- कूटरचित प्रपत्र तैयार कर फर्जी रजिस्ट्री करने वाले वांछित शातिर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.07.2024 को डाक पैड से प्राप्त आदेशित प्रा0पत्र वादी श्री इन्द्रेश काण्डपाल पुत्र श्री जयदत्त काण्डपाल निवासी गोपालपुरी आलमबाग, लखनऊ की शिकायत पर मु0अ0सं0-0328/2024 धारा 420/406/504/506 भादवि0 बनाम 01.श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री काशी प्रसाद गुप्ता 02. श्री काशी प्रसाद गुप्ता 03.शान्ति देवी का लडका नाम अज्ञात निवासिनीगण-म०नं0-551क/32/प. मधुबन नगर, आलमबाग, लखनऊ 04.शान्ति देवी, बावत नामित अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की मां श्रीमती गीता काण्डपाल से धोखाधड़ी व जालसाजी करते हुए फर्जी आवासीय भूखण्ड बैनामा कराते हुए 90,000/- रूपये की धनराशि हड़प लेना, न ही उक्त भूखण्ड पर कब्जा दिलाना, न ही पैसा वापस देना, विरोध करने पर वादी मुकदमा को अपमानित करते हुये जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया।

मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण की सुरागरसी पतारसी करते हुये मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 22.01.2025 को अभि0 हरिश्चंद्र यादव पुत्र स्व0 हनुमान निवासी 570/155 कासिमपुर पकरी थाना कृष्णा नगर जनपद लखनऊ उम्र करीब 53 वर्ष को घर से गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी।

02-अभियुक्त का विवरण/नाम पता व्यवसाय –

1.हरिश्चंद्र यादव पुत्र स्व0 हनुमान निवासी 570/155 कासिमपुर पकरी थाना कृष्णा नगर जनपद लखनऊ उम्र करीब 53 वर्ष।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0-328/2024 धारा 406/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना कृष्णानगर।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रद्युम्न कुमार सिंह, कृष्णानगर लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार यादव, कृष्णानगर लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री आशीष कुमार, कृष्णानगर लखनऊ।
4. उ0नि0 श्री सच्चिदानंद पाण्डेय, कृष्णानगर लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-209

दिनांक- 22.01.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- वादिनी/पीड़िता से दुष्कर्म, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के 02 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार।

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.09.2024 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम पर वादिनी की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर आरिफ हुसैन उर्फ सोनू सिंह के साथ निकाह के पश्चात आरिफ हुसैन उर्फ सोनू सिंह के भाई नईम व मोमिन द्वारा वादिनी के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना तथा परिवारजनो द्वारा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये गाली गलौज करने व जानमाल की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 478/2024 धारा 70(1)/123/318(4)/92/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3(1)द,ध व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज महोदय द्वारा टीम गठित की गयी तत्पश्चात विवेचना के क्रम में वांछित अभियुक्त के विरुद्ध NBW जारी होने के उपरान्त वांछित अभियुक्त के घर दबिश दी गयी तो अभियुक्तगण-

01. नईम पुत्र मुन्ने हुसैन निवासी 4928/बी-34 ए, गली न0 4, ईस्ट ओल्ड सेलमपुर, ईस्ट पुरानी दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष

02. मोमिन पुत्र मुन्ने हुसैन निवासी 4928/बी-34 ए, गली न0 4, ईस्ट ओल्ड सेलमपुर, ईस्ट पुरानी दिल्ली उम्र करीब 35 वर्ष को दिनांक 21.01.2025 को पता 4928/बी-34 ए, गली न0 4, ईस्ट ओल्ड सेलमपुर, ईस्ट पुरानी दिल्ली से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है व अन्य वांछित अभियुक्त की तलाश जारी है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- नईम पुत्र मुन्ने हुसैन निवासी 4928/बी-34 ए, गली न0 4, ईस्ट ओल्ड सेलमपुर, ईस्ट पुरानी दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष

2. मोमिन पुत्र मुन्ने हुसैन निवासी 4928/बी-34 ए, गली न0 4, ईस्ट ओल्ड सेलमपुर, ईस्ट पुरानी दिल्ली उम्र करीब 35 वर्ष

03-आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 478/2024 धारा 70(1)/123/318(4)/92/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3(1)द,ध व 3(2)5 एससी/एसटी थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ

04-अभियुक्तों का व्यवसाय-

नईम द्वारा कपडे के कारखाने मे काम करता है।

मोमिन द्वारा बोरे की सेल्स का काम किया जाता है।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम दक्षिणी जोन लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-206

दिनांक-22.01.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना- तालकटोरा

- **01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना तालकटोरा पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 22.01.2025 को मा0न्याया0 विशेष न्यायाधीश ए0टी0एस0 लखनऊ द्वारा निर्गत एनबीडब्लू एस0टी0 नं0-221/2014, मु0अ0सं0 310/13 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित वारण्टी अभियुक्त कुलदीप गुप्ता पुत्र अमृत लाल निवासी मायापुरम थाना पारा, लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष के घर पर दबिश दी गयी तो अभियुक्त कुलदीप गुप्ता उपरोक्त घर पर मौजूद मिला। अभियुक्त कुलदीप गुप्ता उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र से अवगत कराते हुये घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त/वारण्टी का विवरण-

1. कुलदीप गुप्ता पुत्र अमृत लाल गुप्ता निवासी मायापुरम थाना पारा,लखनऊ उम्र 32 वर्ष । (व्यवसाय-राज मिस्त्री)

03-सम्बन्धित अभियोग/वाद-

1. एस0टी0 नं0-221/2014, मु0अ0सं0 310/13 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सूरज शनीम थाना तालकटोरा लखनऊ
2. उ0नि0 श्री रविशंकर मौर्य थाना तालकटोरा लखनऊ

